रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 1998/आषाढ़ 10, 1920

No. 246] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1998/ASADHA 10, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1998

सा.का.नि. 374 (अ).—केन्द्रीय सरकार, गोवा, दमण और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उपांतरणों अधीन रहते हुए, संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव पर विस्तारित करती हैं।

अनुसूची

अधिनियमितियां	उपांतरण
1	2
गोवा लोक द्यूत (संशोधन) अधिनियम, 1992 (1992 का गोवा अधिनियम संख्यांक 11)	1. धारा 1 में.— (1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— "(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।" (ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव पर होगा"। 2. धारा 2 में,— (i) "गोवा, दमण और दीव लोक द्यूत् अधिनियम, 1976 (1976 का 14)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "गोवा, दमण और दीव लोक द्यूत् अधिनियम, 1976 (1976 का 14) संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में यथा प्रवृत्त" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

1	2
	(ii) "गोवा सरकार" शब्दों के स्थान पर "संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव का प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे।
	3. धारा 4 का लोप किया जाएगा।
गोवा लोक दयूत (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1994 का गोवा अधिनियम संख्यांक 2)	1. उपधारा 1 में,—
	(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
	"(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।"
	(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
	"(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव पर होगा।"
	2. धारा 2 में "गोवा, दमण और दीव लोक दयूत अधिनियम, 1976 (1976 का 14)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "गोवा, दमण और दीव लोक दयूत अधिनियम, 1976 (1976 का 14) संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में यथा प्रवृत्त" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
	3. धारा 4 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.यू.-11015-यू.टी.एल.(190)]

पी.के. जलाली, सचिव

उपाबंध I

गोवा लोक दयूत (संशोधन)अधिनियम, 1992(1992 का 11) की संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव पर यथा विस्तारित।

गोवा, दमण और दीव लोक दयूत अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।

भारत के गणसंत्र के तैंतालीसवें वर्ष में गोवा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इस अधिनियम का नाम गोवा लोक दयूत (संशोधन) अधिनियम, 1992 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव पर है।

2. धारा 2 का संशोधन :—

संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में यथा प्रवृत्त गोवा दमण और दीव लोक दयूत अधिनियम, 1976 (1976 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खंड (3)में "गोवा, दमण और दीव सरकार" शब्दों के स्थान पर "संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव का प्रशासक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. नई धारा 13 क का अंत:स्थापन,—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13. क. प्राधिकृत खेल:—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी सरकार इलैक्ट्रानिक आमोद प्रमोद/ सलॉट मशीन के किसी खेल को पांच तारा होटलों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिसके अंतर्गत ऐसी आवर्ती और अनावर्ती फीसें है, जो विहित की जाएं, प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी खेल को लागू नहीं होंगे।"

4. लोप किया जाता है।

उपाबंध—II

गोवा लोक द्यूत (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1994 का गोवा अधिनियम संख्यांक 2)

संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव पर यथा-विस्तारित

गोवा, दमण और दीव लोक द्यूत अधिनियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम।

भारत के गणतंत्र के चवालीसवें वर्ष में गोवा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इस अधिनियम का नाम गोवा लोक द्यूत (संशोधन) अधिनियम, 1993 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव पर है।

2. धारा 4 का संशोधन.—

संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में यथा प्रवृत्त गोवा, दमण और दीव लोक द्यूत अधिनियम, 1976 (1976 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है।) की धारा 4 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में "दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) खंड (ख) में "तीन सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे; और

(iii) खंड (ग) में "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 11 का संशोधन.—

मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।

4. लोप किया गया है।

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1998

G.S.R. 374 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act, 1962 (1 of 1962) the Central Government hereby extends to the Union territory of Daman and Diu, the enactments specified in column (1) of the Schedule hereto annexed subject to the modifications specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule.

THE SCHEDULE

Enactments	Modifications
1	2
Goa Public Gambling (Amendment) Act, 1992 (Goa Act No. 11 of 1992)	**1. In Section 1.—** (i) For Sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely :— "(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint." (ii) after sub-section (2) the following sub-section shall be inserted, namely :— "(3) It extends to the whole of the Union territory of Daman and Diu". **2. In Section 2.—** (i) for the words and figures "the Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976 (Act 14 of 1976)", the words and figures " the Goa, Daman and Diu Public Gambling Act,

Enactments	Modifications
1	2
	1976 (14 of 1976) as in force in the Union territory of Daman and Diu" shall be substituted. (ii) for the words "the Government of Goa", the words "the administrator of the Union territory of Daman and Diu appointed by the President Under article 239 of the Constitution" shall be substituted. 3. Section 4 shall be omitted.
The Goa Public Gambling (Amendment) Act, 1993 (Goa Act No. 2 of 1994).	1. In Section 1.— (i) for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely:— "(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint." (ii) After sub-section (2) so substituted, the following sub-section shall be inserted, namely :— "(3) it extends to the whole of the Union territory of Daman and Diu". 2. In section 2 for the words and figures "the Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976 (Act 14 of 1976)" the words and figures "Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976 (Act 14 of 1976) as in force in the Union territory of Daman and Diu" shall be substituted. 3. Section 4 shall be omitted.

[F. No. V-11015/2/96-UTL(190)]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE I

The Goa Public Gambling (Amendment) Act, 1992 (11of 1992) as extended to the Union territory of Daman and Diu

An Act further to amend the Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976

Be it enacted by the legislative assembly of Goa in the forty-third Year of the Republic of India as follows:—

1 Short title and commencement.—

(1) This Act may be called the Goa Public Gambling (Amendment) Act, 1992.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

(3) It extends to the whole of the Union territory of Daman and Diu.

2 Amendment of section 2.—

In clause (3) of section 2 of the Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976 (14 of 1976) as in force in the Union territory of Daman and Diu (hereinafter referred to as the "Principal Act,"), for the words and figure "the Government of Goa, Daman and Diu,the words "the Administrator of the Union territory of Daman and Diu, appointed by the President under article 239 of the Constitution" shall be substituted.

3. Insertion of new section 13A.—

After section 13 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely:—

"13A. Authorised Game.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may authorise any game of electronic amusement/slot machines in Five Star Hotels subject to such conditions, including payment of such recurring and non-recurring fees, as may be prescribed.

(2) The provisions of this Act shall not apply to any game authorised under sub-section (1)."

4. Omitted.

ANNEXURE II

The Goa Public Gambling (Amendment) Act, 1993 (Goa Act No. 2 of 1994) as extended to the Union territory of Daman and Diu

An Act further to amend the Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the forty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.—

(1) This Act may be called the Goa Public Gambling (Amendment) Act, 1993.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

(3) It extends to the whole of the Union territory of Daman and Diu.

2. Amendment of Section 4.—In sub-section (1) of section 4 of the Goa, Daman and Diu Public Gamling Act, 1976 (14 of 1976) as in force in the Union territory of Daman and Diu (hereinafter referred to as the 'Principal Act').—

(i) in clause (a) for the words "two hundred rupees" the words "two thousand rupees" shall be substituted ;

(ii) in clause (b) for the words "three hundred rupees" the words "three thousand rupees" shall be substituted and;

(iii) in clause (c) for the words "five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

3. Amendment of section 11.—

In sub-section (2) of section 11 of the Principal Act, for the words "five hundred rupees", the words "two thousands rupees" shall be substituted.

4. Omitted.

IndiaCode

1816-41/98-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998

IndiaCode